मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफ 9-8/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत PRAN Application Form {SI} तथा नामिनी की प्रविष्टि सर्विस बुक में कराए जाने के संबंध में ।

--••--

मध्यप्रदेश शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है । उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को Physical Form SI (प्रति संलग्न) भरना अनिवार्य है । उक्त Form को भरने के बाद ही NSDL द्वारा IRA PRAN [IRA- Individual Retirement Account & PRAN- Permanent retirement Account Number] आवंटित किया जाता है । अभी भी अनेक अभिदाता Non-IRA हैं जिनका बिना IRA PRAN के वेतन आहरण होने से उनका अंशदान कटौत्रा संबंधित विवरण PRAN Kit के अभाव में अभिदाता द्वारा नहीं देखा जा सकता है एवं SI फार्म के अभाव में उनके नामांकन संबंधी विवरण भी NSDL के पास उपलब्ध नहीं है । अतः समस्त Non-IRA PRAN को IRA PRAN में परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2/ उल्लेखनीय है कि NSDL द्वारा IRA PRAN होने की स्थिति में ही PRAN Kit तथा Subscribers Master Report प्रदाय की जाती है, जिसमें अभिदाता को उसके कटौत्रे की समस्त जानकारी प्राप्त होती है ।

PTO

3/ अतः अनुरोध है कि कृपया नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत PRAN Form (SI) तथा नामिनी विवरण को DDO एवं कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कर सर्विसबुक में संलग्न कर विधिवत प्रविष्टि की जाए जिससे अभिदाता का (SI) फार्म तथा नामिनी की जानकारी सर्विस बुक में उपलब्ध रहे एवं भविष्य में सेवानिवृत्त अथवा त्याग पत्र अथवा मृत्यु होने की दशा में नवीन पेंशन योजनान्तर्गत नियमानुसार देय राशि के भुगतान संबंधी समस्या न आए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रं.: एफ 9-8/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश पर्यावास भवन भोपाल
3. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा किसान भवन भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म.प्र
5. समस्त संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारी मध्यप्रदेश
6. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश
7. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग